न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.), झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- सुप्रिया (आरएएस)

राजस्व वाद संख्या 820 / 2024

नानगराम आदि बनाम जगदीश आदि
दावा घोषणार्थ, स्थाई व्यादेश तथा दुरुस्ती रिकॉर्ड
प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम तथा अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम

एडवोकेट (वादी) प्रार्थी :- अरविन्द सैनी
एडवोकेट (प्रतिवादी) अप्रार्थी :- यतीश सिंह

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.07.2025

उनवानी प्रकरण में वादी संख्या 2 परसा पुत्र भुरा का देहान्त वर्ष 2021 में हो चुका है, उसकी जगह उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावे, वारिसान इस प्रकार से है कि :–

i. मंगेजाराम पुत्र परसा
ii. पिन्टू गुर्जर पुत्र परसा
iii. धापा देवी पत्नी परसा
iv. अनिता पुत्री परसा
v. प्रियंका पुत्री परसा

प्रकरण के वादीगण ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, कानून को अधिक नहीं जानता है, वैसे भी प्रकरण में पैरवी परसा ही करता था तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी नानगराम विहित अवधि में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम पेश नहीं कर सका तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम पेश नहीं कर सकता तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण उदयपुरवाटी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन अब प्रकरण झुंझुनूं न्यायालय के यहां अन्तरित होने के कारण उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हुई, अब उदयपुरवाटी न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा जानकारी देने पर झुंझुनूं न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त करके प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया जा रहा है, जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से सेवामें पेश किया जा रहा है। वैसे भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना आवश्यक है, केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अन्त में वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम व अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी संख्या 2 परसा की जगह उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के जबाव में अप्रार्थी मनीराम ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी संख्या 2 की मृत्यु 2021 में हुई थी। उसकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृत्यु के बाद 90 दिन में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करना होता है। आवेदक ने 4 वर्ष बाद में आवेदन पेश किया है। वादी का वाद 90 दिन बाद ही अबेट हो चुका है। आवेदन ने उक्त अबेटमेन्ट का कैन्सिल करवाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादी नम्बर 2 की मृत्यु 2021 में हुई। उसके बाद 2 वर्ष तक प्रकरण उदयपुरवाटी में चला है। उसके बाद 2023 में झुंझुनूं न्यायालय में राज्य सरकार के आदेश से उक्त न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया। आवेदक लगातार अपने वकील के सम्पर्क में रहा है, जान बुझकर जानकारी होते हुए प्रार्थना पत्र मृत्यु से 90 दिन के अन्दर पेश नहीं किया। 4 वर्ष बाद में पेश किया है, 90 दिन बाद दावा अपने आप ही अबेट हो जाता है, उक्त अबेट को निरस्त करने हेतु आवेदन/वादी ने कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया है इसलिए वादी का दावा अबेट हो चुका है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में कोई सदभावी कारण दर्ज नहीं किया। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम व अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर

प्रार्थना पत्र पर जवाब देही पूर्ण होने पर बहस वकील पक्षकारान श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (वादी) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मृतक की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जावे तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 4) ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी संख्या 2 की मृत्यु 2021 में हुई थी। उसकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृत्यु के बाद 90 दिन में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करना होता है। आवेदक ने 4 वर्ष बाद में आवेदन पेश किया है। वादी का वाद 90 दिन बाद ही अबेट हो चुका है। आवेदन ने उक्त अबेटमेन्ट का कैन्सिल करवाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। विधि के प्रावधानों के अनुसार स्थिति स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 3 के प्रावधान उन्ही स्थिति में लागु होते है जहां दौराने दावा वादी की मृत्यू हुई हो। चूंकि वादी नं. 2 की मृत्यु वर्ष 2021 में हुई। मृत्यु के बाद 90 दिन में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करना होता है। आवेदक ने 4 वर्ष बाद में आवेदन पेश किया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 4) ने दौराने बहस प्रार्थी (वादी) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम व अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज करने के पक्ष में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. आरआरटी 2023(1) पेज 481 :– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दायर निगरानी/अपील उनवानी मांगीलाल बनाम औंकारराम वगैरह निर्णय दिनांक 06.12.2022
   Code of Civil Procedure, 1908 - Order 22, Rule 4 - Death of Respondent No. 4 Pending Appeal-Appellant filled the application for substitution of L.R's after more than 3 years-Revenue Appellate Authority dismissed the application and abated the appeal-Revisionist and the deceased are the brother and sister-It is not believable that the petitioner had no knowledge of death-No application filed to set aside the abatement-Held, No illegality in the order.
2. आरआरटी 2023(1) पेज 483 :– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दायर निगरानी/अपील उनवानी मोहम्मद जियासुद्दीन बनाम मोहम्मद अख्तर वगैरह निर्णय दिनांक 24.01.2023
   Code of Civil Procedure, 1908 - Order 22, Rule 4 - Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Sections 88, 188 and 122 - Defendant Mohammad Ramjan died pending suit - Application filled for substitution of LR's- Trial Court dismissed the application and abated the suit qua the deceased - Application under section 5 of the Limitation Act also filled - Except wife of the deceased other LR's are already on record ...

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तमाम साक्ष्य सबूतों, तथ्यों एवं विधि के दृष्टांतों के मध्यनजर न्यायालय की राय में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम व अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकाम व अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने से वाद का स्वतः उपशमन होने से वाद वादी उपशमन में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं